न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 51/2018 G.C.M.S. No. 2018/433 दर्ज दिनांक : 10.12.2018

अपीलार्थिगण:

1. जबरसिंह पुत्र धनसिंह, उम्र वयस्क, जाति राजपूत, निवासी रामा, तहसील आहोर व जिला जालोर के का.मु.–
   - 1/1 पदम कंवर पत्नि जबरसिंह जोधा, उम्र वयस्क, निवासी रामा, तहसील आहोर व जिला जालोर
   - 1/2 सुरेन्द्रसिंह जोधा पुत्र जबरसिंह, उम्र वयस्क, निवासी रामा, तहसील आहोर व जिला जालोर
   - 1/3 सुएर उर्फ सुमेर कुंवर पत्नि चिम्मनसिंह, उम्र वयस्क, निवासी मानपुरा कॉलोनी, जालोर।
   - 1/4 चैनकंवर पत्नि रघुनाथसिंह, उम्र वयस्क, निवासी वेरा जेतपुरा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही।
   - 1/5 राजेश्वरी कंवर पत्नि राजवीरसिंह देवड़ा, उम्र वयस्क, निवासी देवड़ा हाउस, मानपुरा कॉलोनी, जालोर।
   - 1/6 पूरण कंवर पत्नि विरेन्द्र, उम्र वयस्क
   - 1/7 बिन्देश्वरी पत्नि दीपक सिंह राणावत, निवासी बांगडी, जिला पाली।
   - 1/8 उत्तम कंवर पुत्री स्व. विरेन्द्रसिंह, उम्र वयस्क
   - 1/9 सिद्धराज सिंह जोधा पुत्र विरेन्द्रसिंह, उम्र वयस्क

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर जालोर।
2. तहसीलदार भूमिधारी जालोर।
3. उपवन संरक्षक जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 137/2015 बअनवान जबरसिंह के का.मु. पदम कंवर वगैरह बनाम राजस्थान राज्य वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री मधुसूदन व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट 1 व 2 की ओर से।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, जालोर, रेस्पोंडेंट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 137/2015 बअनवान जबरसिंह के का.मु. पदम कंवर वगैरह बनाम राजस्थान राज्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वगैरह में पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा एक वाद सहायक कलेक्टर आहोर के न्यायालय में खसरा नम्बर 1427 सरहद मौजा रामा तहसील आहोर रकबा 8.86 हैक्टेर के बाबत प्रस्तुत किया था। इस वाद के तथ्य इस प्रकार थे कि रामा मारवाड़ राज्य का जागीरदारी गांव था तथा जागीर अधिकरण से पूर्व जबर सिंह के पिता श्री धन सिंह जी रामा गांव के जागीरदार थें और उनका पूरे गांव की हर प्रकार की जमीन पर अधिकार था। वादी जबर सिंह जी धन सिंह जी के सबसे छोटे लडके थें और उनके पिता द्वारा उनको खसरा नम्बर 900 की कुल 55 बीघा जमीन काश्त हेतु दी गयी थी। पुराने खसरा नम्बर 900 की कुल 2695 बीघा जमीन थीं। इसमें से वन विभाग के नाम केवल 2600 बीघा जमीन ही 1975 में हस्तान्तरित की गयी थीं। शेष 95 बीघा जमीन वन विभाग को नहीं दी गयी थीं। शेष बची 95 बीघा में से 46 बीघा जमीन छतरीया, मानीया, सवीया तथा सोना आदि के नाम दर्ज है। 55 बीघा जमीन पर वादी का कब्जा काश्त है। भू–प्रबन्ध विभाग ने यह 55 बीघा जमीन नये खसरा नम्बर 1427 बना कर वन विभाग के नाम दर्ज कर दी हैं। जबकि वन विभाग को 1975 में 2695 में से केवल 2600 बीघा जमीन ही दी गयी थीं, शेष जमीन में वादी तथा छतरीया आदि का कब्जा था। वन विभाग द्वारा गलत ढंग से अपने नाम जमीन दर्ज करवाने तथा वादी को जमीन से बेदखल करने का प्रयास करने पर वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था। तमाम दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थें। दिनांक 07.05.2018 को यह पत्रावली लोक अदालत में अभियान में रामा गांव में कार्यवाही में ली जायेगी इस बाबत कोई नोटिस अपीलान्ट को नहीं दिया गया है। लोक अदालत के नोटिस वर्ष 2017 में भी श्री जबर सिंह जी के नाम जारी किये गये थे जबकि जबर सिंह जी का देहान्त 18.05.2016 को हो चुका था और अभिलेख पर इस बारे में प्रार्थना पत्र भी 21.09.2016 को प्रस्तुत किया जा चुका था इसके बाद भी 2017 में मृतक के नाम नोटिस जारी किया गया और वर्ष 2018 के अभियान के समय किसी भी व्यक्ति को नोटिस जारी नहीं किया गया तथा बिना किसी सूचना के रामा गांव में पत्रावली लिखी गयी तथा उस दिन तहसीलदार द्वारा जबाव प्रस्तुत करना बताया गया है, जबकि उसका जबाव अभिलेख पर कब प्रस्तुत हुआ है, इसका कोई उल्लेख नहीं हैं। दिनांक 07.05.2018 को श्री गुलाब सिंह भाद्राजून में नायब तहसीलदार के पद पर पद स्थापित नहीं थें। उनका पदस्थापन जालोर में तहसीलदार के पद पर हो चुका था। आदेशिका में 07.05.2018 को परस्पर विरोधाभाषी तथ्य लिखे गये हैं। एक तरफ तो आदेशिका में तहसीलदार की अनुपस्थिति दर्ज की गयी है तथा दूसरी तरफ तहसीलदार द्वारा जवाब प्रस्तुत करना बताया गया है। इसके अलावा वन विभाग का जवाब 29.06.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2016 को पेश करना बताया गया है जबकि उसकी प्रति वादी को नहीं दिलवायी गयी हैं। दिनांक 29.06.2018 को बिना किसी पक्षकार को सूचना दिये पत्रावली को लोक अदालत में रख दिया गया तथा बिना किसी सुनवाई के साक्ष्य सबूत का आदेश दिये बिना वाद को बिना किसी आधार पर खारिज कर दिया। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 29.06.2018 विधि तथा तथ्यों के विपरीत है और बिना राजीनामा के किसी भी वाद का निस्तारण मेरिट पर अभियान में नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वाद का निस्तारण मेरिट पर साक्ष्य–सबूत लेकर किया जाता है। इसके लिये तनकीयात कायम करना भी आवश्यक है। लोक अदालत की सूचना के बिना 29.06.2018 को निर्णय पारित किया गया है। जबकि 09.05.2018 की पेशी दी गयी थीं तथा उससे पूर्व इस पत्रावली को बिना किसी सूचना के 20.04.2018 को रामा में प्रस्तुत करने का आदेश एक मोहर के द्वारा आदेशिका में लिख दिया गया। इसकी सूचना भी किसी को नहीं दी गयी। दिनांक 07.05.2018 की तथा दिनांक 29.06.2018 की कोई पेशी की सूचना किसी पक्षकार को नहीं दी गयी। इस प्रकार बिना सूचना पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 01.11.2018 को हुयी तथा उसी दिन नकल मांगी गयी उसको देखने के बाद जब डिक्री का पता लगा तो दिनांक 02.11.2018 को डिक्री की नकल मांगी गयी उस बारे में बताया गया कि डिक्री जारी नहीं की गयी है तो उस आवेदन की नकल 02.11.2018 को मांगी गयी, वह नकल 02.11.2018 को प्राप्त हुयी। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी का प्रतिवादीगण सरकार के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.06.2018 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 12.11.2018 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि लोक अदालत की सूचना के बिना 29.06.2018 को निर्णय पारित किया गया है। जबकि 09.05.2018 की पेशी दी गयी थीं तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उससे पूर्व इस पत्रावली को बिना किसी सूचना के 20.04.2018 को रामा में प्रस्तुत करने का आदेश एक मोहर के द्वारा आदेशिका में लिख दिया गया। इसकी सूचना भी किसी को नहीं दी गयी। दिनांक 07.05.2018 की तथा दिनांक 29.06.2018 की कोई पेशी की सूचना किसी पक्षकार को नहीं दी गयी। इस प्रकार बिना सूचना पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 01.11.2018 को हुयी तथा उसी दिन नकल मांगी गयी उसको देखने के बाद जब डिक्री का पता लगा तो दिनांक 02.11.2018 को डिक्री की नकल मांगी गयी उस बारे में बताया गया कि डिक्री जारी नहीं की गयी है तो उस आवेदन की नकल 02.11.2018 को मांगी गयी, वह नकल 02.11.2018 को प्राप्त हुयी। तत्पश्चात उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार कर जावें।

3. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही या उदासीनता से कारित नहीं किया गया है। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने के कारण माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी वन विभाग के नाम दर्ज वन भूमि होने, वादी वन भूमि पर अतिक्रमी के रूप में खेती करने तथा वन विभाग द्वारा वादी के विरूद्ध न्यायालय सहायक वन संरक्षक जालोर में वाद संख्या 06/2004 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2012 द्वारा वादी को बेदखली किए जाने का आदेश होने तथा वादी पर 500 रूपये का जुर्माना आरोपित करने तथा वादग्रस्त आराजी राजस्थान राजपत्र में दिनांक 05.11.1992 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा वन भूमि के रूप में वैधानिक रूप से अस्तित्व में होने, वादी के पक्ष में कोई भूमि आवंटन, नियमन बाबत कोई दस्तावेज नहीं होने से वादपत्र राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया।

5. वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी जो वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसका मूल खसरा संख्या 900 कुल रकबा 2695-02 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ होने तथा रामा गांव जागीरदारी गांव होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से वादी के पिता धनसिंह का कब्जाकाश्त होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अतः वादपत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादी स्वयं द्वारा यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी की खतौनी बंदोबस्त अनुसार किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है तथा सिवायचक है। अर्थात गैर मुमकिन पहाड़ भूमि नाकाबिल काश्त होने से उक्त भूमि पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

काश्त होना एवं काश्त के रूप में कब्जा होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में महज कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा किए जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं। वादी द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात जहां एक तरफ जागीरदारी भूमि होना अंकित किया है, साथ ही अनुतोष के रूप में स्वयं को उक्त आराजी का खुदकाश्त अभिधारी घोषित किये जाने की मांग की गई हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के अंतर्गत खुदकाश्त जागीर भूमियों के संबंध में ही ऐसे खुदकाश्त धारकों को खातेदारी अधिकार अनुमत होते हैं। हस्तगत प्रकरण में वादी अपीलांट खुदकाश्त अभिधारी नहीं हैं तथा वादी द्वारा खुदकाश्त अभिधारी घोषित किये जाने की मांग की गई हैं। जोकि अनुमत नहीं हैं। इसी प्रकार यह स्वीकृत स्थिति है कि वादग्रस्त आराजी अधिसूचित वन भूमि हैं तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (10) के विधिक प्रावधान अनुसार ऐसी भूमियों के संबंध में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अर्थात अपीलांट वादी का वादपत्र धारा 16 (10) के प्रावधान अनुसार विधि द्वारा वर्जित है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट वादी का वादपत्र व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान अनुसार विधि द्वारा वर्जित होने तथा ऐसी आराजियों के संबंध में कोई वादकारण उत्पन्न ही नहीं होने से ऐसे वादपत्रों को विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादपत्र खारिज करने में कानूनन कोई भूल नहीं की हैं।

6. अपीलांट द्वारा यह उज्र लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में वादपत्र खारिज किया गया है। जबकि इसके लिए कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ। अतः अपीलाधीन निर्णय काबिल अपास्त हैं तथा इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए। हमनें उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन व अध्ययन किया तथा यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। हमारे विनम्र मत में न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लोक अदालत के साथ–साथ नियमित कैम्प कोर्ट का भी आयोजन किया जाता है। राजीनामा के आधार पर प्रकरण लोक अदालत में निस्तारित होते हैं तथा दीगर प्रकरणों का विचारण व निर्णयन नियमित कैम्प कोर्ट के रूप में किया जाता है। हस्तगत प्रकरण राजीनामा के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित प्रकरण नहीं होकर कैम्प कोर्ट में निस्तारित प्रकरण है तथा वादपत्र विधिवर्जित होने से किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है, इसके लिए विवाद्यक कायम किए जाने एवं साक्ष्य आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती हैं। अतः इस संबंध में अपीलांट का उक्त उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से इसी स्तर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली